

From

Date: 02 April, 2024

Kalyan Banerjee,
Joint Secretary,
Urban Development Department,
U.P Government, Lucknow.

To

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.


Subject: Submission of Action Taken Report (ATR) in compliance with Hon'ble National Green Tribunal order dated 19-01-2024 in M.A. No. 38/2023 in Original Application No. 196/2022 Hariom Gupta & Ors vs. Nagar Palika Parishad, Loni.

Sir,

In compliance with Hon'ble National Green Tribunal order dated 19-01-2024 in M.A. No. 38/2023 in Original Application No. 196/2022 Hariom Gupta & Ors vs. Nagar Palika Parishad, Loni, the Action Taken Report on behalf of the State of Uttar Pradesh is being filed and annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble tribunal for kind consideration.

Yours Sincerely


(Kalyan Banerjee)
Joint Secretary

Enclosures: As above

The Action Taken Report in the matter of M.A. No. 38/2023 IN Original Application No. 196/2022 Hariom Gupta & Ors vs. Nagar Palika Parishad, Lonidated 19.01.2024 passed by Hon'ble NGT

1. That Hon'ble NGT has passed an order dated 19.01.2024 in O.A. No.- 196/2022 Hariom Gupta & Ors vs. Nagar Palika Parishad, Loni. The operative portion of the order is as under :-

"....16. In view of the facts and circumstances explained therein we consider presence of the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. and the U.P. Jal Nigam to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case and accordingly Principal Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. and U.P. Jal Nigam are impleaded as respondents no. 9 and 10..."

2. It is submitted that the present matter deals with the sewerage and water-logging issues in Pooja Colony, Loni.
3. That there are a total of 55 wards in Loni, with an approximate population of 11 lakhs. The approximate sewage generation is 108 MLD. Loni currently has a existing 30 MLD Sewage Treatment Plant (STP) which treats the sewage generated by 15 wards.
4. It is submitted that under Amrut 2.0, the City Water Action Plan (CWAP) for Loni had already been prepared and uploaded to the Amrut 2.0 Portal in the year 2022. In this plan, the work has been divided into three parts in such a way that Part-1 covers two wards and Part-2 of the project covers 15 wards of Loni with partial sewerage system. The sewage of the wards, covered in part-1 and part-2, will be treated at existing 30 MLD STP. For rest wards where there is no existing sewer line part-3 has been prepared which will lead to 100% coverage of Loni NPP with sewerage system. The action plan of the project submitted under Amrut 2.0 as discussed above is as follows-

I. Loni Sewerage Scheme Phase-3, Part-1

The approximate cost of this part is 72.37 cr. It covers 2 wards namely ward 28 and ward 41. This shall cover 57 kms sewer network and sewer connection of 6927 households. This part has been approved by the UP govt. in November, 2022. Bidding phase is in final stage. This part will be completed within 18 months.

II. Loni Sewerage Scheme Phase-3, Part-2

In this part, 15 wards shall be covered. The development activities would consist of 70 km sewer network and sewer connections to 26707 households. The cost of this part is 103.97 cr. Approval is pending.

III. Loni Sewerage Scheme Phase-3, Part-3

The estimated total cost of this part is 2067 crores. It shall cover the remaining 38 wards including the ward no 44 to which Pooja Colony belongs. The works planned in this part includes 136 MLD STP, 10 nos. Pumping station, 900 Km sewer network, 111339 nos. sewer house connections.

The ward to which Pooja Colony belongs falls under third part of the plan.


A true copy of the status report from Jal Nigam, Ghaziabad is attached as Annexure – A1

1. That the sewer network planned in above parts as mentioned above shall cover 100 % area of Loni and proposed STP shall cover entire sewage generation.
2. **A 15 MLD Tertiary Treatment Plant (TTP)** with a cost of 108.45 crores was approved in November 2023 under Amrut 2.0. The bidding process is currently underway. The treated water will be supplied to the nearby industrial area of Loni, which hosts many small-scale industries.
3. That, on 16.01.2024, via letter 1579/Nagar Palika, Loni/2023-24, addressed to the Principal Secretary, Urban Development Department, UP, and copied to the Chief Engineer, Jal Nigam, Ghaziabad, the Nagar Palika, Loni, had requested the preparation of a Detailed Project Report (DPR) for sewerage and drainage in the Pooja Colony area under Amrut 2.0.
4. That The Jal Nigam, Ghaziabad, responded to the above letter via letter 138/work-20/10 dated 04.02.2024. It was communicated that a comprehensive sewage plan for the entire Loni area, as part of the City Water Action Plan, has been prepared and uploaded to Amrut 2.0 for approval. The part 3 of the plan covers the ward that the Pooja Colony belongs to.

A true copy of the letter is attached as Annexure – A2

5. That it has also been communicated that, considering the urgency of the matter, Jal Nigam is prepared to conduct the survey and prepare the Detailed Project Report (DPR) for the sewerage system at the mentioned location. For this purpose, an advance of 20 lakh was requested to be deposited to Jal Nigam to facilitate the necessary actions.
6. It is pertinent to mention that Loni is situated in a low-lying area on the east bank of the river Yamuna. It is crucial for the city to conduct a comprehensive survey of the entire area and prepare the Detailed Project Report (DPR) to establish a successful drainage system. For the drainage system, as per government order for works above 5 lakhs, C&DS, UP Jal Nigam (Urban) has been nominated. The cost of the survey, design and DPR preparation would be approximately 50 lakhs.

That it is requested that the Action Taken Report may be presented before Hon'ble Tribunal for consideration. *a*


(Kalyan Banerjee)
Joint Secretary,
Government of UP.



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गा०क्षेत्र),
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
सै०-१ राजनगर, गाजियाबाद 201 002

पत्रांक 720 / NGT

दिनांक 01/04/2024

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (नागर),
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38-2023 in ओ०ए० संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1797/नौ-5-2024-42रिट/2023 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 28.03.2024 द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38-2023 in ओ०ए० संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 की वांछित अनुपालन आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

[Handwritten Signature]

(आर०के० पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र)

पू०सं० एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38-2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Versus. Nagar Palika Parishad & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 में दिनांक 19.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं अन्य के साथ मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को पृष्ठांकित के पत्रांक 1579/न0पा0परि0लो0गा0/2023-24 दिनांक 16.01.2024 द्वारा पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज व ड्रेनेज की डी0पी0आर0 तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में आख्या निम्नानुसार है:-

लोनी नगर में सीवरेज व्यवस्था:-

लोनी के सम्पूर्ण क्षेत्र को सीवरेज के पूर्ण संतृप्तिकरण हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 भाग में सिटी वॉटर एक्शन प्लान तैयार कर AMRUT 2.0 Collaboration Portal पर प्रवृष्टि कर दी गई है। उक्त सी0डब्लू0ए0पी0 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार :-

1. भाग-1: लोनी सीवरेज योजना (फेस-3, पार्ट-1) लागत रू0 72.37 करोड़ (कैपेक्स- 71.33 करोड़ औपेक्स- 1.04 करोड़), इस योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र के वार्ड 28 एवं 41 जिसके अन्तर्गत सादुल्लाबाद, अंकुर विहार, डी0एल0एफ0 विहार आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं, को सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 57 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 6927 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा माह नवम्बर-2022 में प्रदान की जा चुकी है। योजना के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।
2. भाग-2: लोनी सीवरेज योजना (फेस-3, पार्ट-2) लागत रू0 103.97 करोड़ (कैपेक्स-102.45 करोड़ औपेक्स- 1.52 करोड़):- उक्त योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र की लगभग 15 वार्ड के जोकि वर्तमान में आंशिक सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित है, को 100 प्रतिशत सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 70 कि0मी0 सीवर नेटवर्क एवं 26707 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त योजना के सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के विस्तृत प्राक्कलन विरचन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
3. भाग-3: लोनी सीवरेज योजना (फेस-3, पार्ट-3) लागत रू0 2067.00 करोड़ (कैपेक्स-1825.00 करोड़ औपेक्स- 242.00 करोड़):-, उक्त योजना के अन्तर्गत निकाय क्षेत्र के अवशेष 38 वार्डों जिसमें अन्य कालोनी के अतिरिक्त पूजा कालोनी सम्मिलित है, को सीवरेज व्यवस्था से संतृप्त करने हेतु 136

एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, 10 नग पम्पिंग स्टेशन, 900 कि0मी0 सीवर नेटवर्क, 111339 नग सीवर गृह संयोजन एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त योजना के सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के विस्तृत विरचन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद स्थित लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पूर्व निर्मित 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एम0बी0बी0आर0 टाईप) सादुल्लाबाद के शोधित श्राव को औद्योगिक प्रयोग हेतु योजन, लागत रू0 108.45 करोड़ (कैपेक्स-97.45 करोड़ औपेक्स- 11.00 करोड़) की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा माह नवम्बर-2023 में प्रदान की जा चुकी है। योजना के अन्तर्गत 15 एम0एल0डी0 टी0टी0पी0, सी0डब्लू0आर0 - 2500 के0एल0, ओ0एच0टी0 - 01 नग (2000 के0एल0), वितरण प्रणाली - 35 कि0मी0 एवं राईजिंग मेन - 2.50 कि0मी0 कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में योजना की निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।


लोनी नगर में ड्रेनेज व्यवस्था:-

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 3788/नौ-5-2012-111बजट/2010 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा रू0 05.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जाने निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि लोनी नगर यमुना नदी के बायी तट पर डूब क्षेत्र में स्थित होने के कारण जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान हेतु सम्पूर्ण नगर का विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किये जाना आवश्यक है। सर्वेक्षण एवं मास्टर प्लान पर लगभग रू0 50.0 लाख का व्यय अनुमानित है। लोनी नगर पालिका द्वारा उक्त धनराशि उपलब्ध कराने एवं उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित कराने के उपरान्त लोनी नगर के ड्रेनेज की डी0पी0आर0 विरचन का कार्य उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रारम्भ किया जा सकेगा।


(अरुण प्रताप सिंह)
अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (प्रथम),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद


(जी0टी0 सोलंकी)
अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
गाजियाबाद


(आर0के0 पंकज)
मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
- 3- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक, समस्त जलकल विभाग, नगर निगम, उ०प्र०/ जल संस्थान, झाँसी, चित्रकूटधाम मण्डल, कर्वा-बांदा।
- 7- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: ०१ अक्टूबर, 2012

विषय: नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कार्यों को स्थानीय नागर निकायों तथा सी.एण्ड डी.एस., उ०प्र० जल निगम के माध्यम से कराये जाने हेतु मानक का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1981/नौ-05-2005-70सा/04 दिनांक 20 जून, 2005 तथा शासनादेश संख्या-7092/नौ-5-2010-111बजट/2010, दिनांक 04.11.2010 के क्रम में शासनादेश संख्या-1341/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 30.05.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य संबंधित स्थानीय नागर निकायों द्वारा तथा ₹ 5.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज संबंधित कार्य सी. एण्ड डी.एस., उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित शासनादेश संख्या-1341/नौ-5-2012 दिनांक 30.05.2012 में सम्यक् विचारोपरान्त संशोधन करते हुए नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले ड्रेनेज से संबंधित कार्यों के सन्दर्भ में निम्नवत् मानक निर्धारित किया गया है-

- (क) नगर निगम- नगर निगमों द्वारा ₹ 50.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराए जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (ख) नगर पालिका परिषद्- नगर पालिका परिषद्दों द्वारा ₹ 25.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (ग) नगर पंचायत- नगर पंचायतों द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

3- ड्रेनेज संबंधित कार्यों के संबंध में उपर्युक्त व्यवस्था निर्माणाधीन कार्यों/परियोजनाओं के सन्दर्भ में प्रभावी नहीं होगी तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पेयजल तथा सीवरेज से संबंधित कार्यों के संबंध में शासनादेश संख्या-1981/नौ-5-2005- 70सा/04 दिनांक 20.06.2005 में दी गई व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,



(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3788(1)/नौ-5-2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
- 3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
- 4- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल
- 5- कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय),

सी-९, सै०-१, आर०डी०सी०, राजनगर, गाजियाबाद-२०१००१

पत्रांक 138 / अमृत-२० / १० दिनांक ०५-०२-२०२५
सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
लोनी, गाजियाबाद।

विषय- अमृत 2.0 के अन्तर्गत पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेंज ड्रेनेज प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं० 196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के सन्दर्भ में आपके पत्रांक 1579/न०पा०परि०लो०गा०/2023-24 दिनांक 18.01.2024 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ से अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पालिका क्षेत्र के पूजा कालोनी की जल निकासी हेतु सीवरेंज ड्रेनेज की डी०पी०आर० तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त क्रम में संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग-5, लखनऊ के पत्रांक 613/नौ-5-2024-42रिट/2023 नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ दिनांक 25.01.2024 द्वारा आपके प्रश्नगत पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, लोनी के सम्पूर्ण क्षेत्र के ड्रेनेज व्यवस्था हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त निकाय क्षेत्र में सीवरेंज व्यवस्था हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सिटी वाटर एक्शन प्लान भर दिया गया है जिसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त विषयगत क्षेत्र में सीवरेंज व्यवस्था हेतु डी०पी०आर० विरचन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश से आच्छादित होने के दृष्टिगत अति सवेदनशील है, जिसके दृष्टिगत यदि आपके द्वारा पूजा कालोनी क्षेत्र की पानी निकासी हेतु सीवरेंज व्यवस्था हेतु डिपोजिट कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तो उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः विषयगत प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर व्यवस्था हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए डी०पी०आर० विरचन के लिए सर्वेक्षण इत्यादि कार्यों हेतु अग्रिम धनराशि रु० 20.00 लाख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरुण प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता



Project title i

LONI SEWERAGE SCHEME PHASE-3, PART-3 UNDER AMRUT 2.0

Project description / Work to be undertaken i

NNP LONI Sewerage/ Septage coverage is 23.07%, In tranche -1 for increasing 4.20% coverage, a project has been sanctioned. To achieve 100% coverage this CWAP has been prepared. This CWAP also covered compliance with NGT OA 6/2012, 648/ 2019. After this project, we will ensure to stop untreated sewerage discharge into the Yamuna River.

Components i

- Sewage treatment
- Used water recycling / reuse
- Transportation of septage from septic tank

Features i

- PPP
- Technology upgradation
- Decentralized septage management
- Underground network
- Last mile connectivity
- Others

Monitoring Elements i

- Sensors
- SCADA
- GIS
- Others

Sewage treatment would involve Setting up a new STP Enhancing existing STP capacity

Pumping station
Sewage treatment capacity to be added(MLD)

Sewer network would involve Replacement of existing sewer network Laying of new sewer network Both Length of the new sewer network to be laid (in km)

No. of pumping stations to Length of pumping mains (in km)

Coverage Details 

S.No	Ward number	Ward name	Does the ward include slums?	New sewer connections proposed in		Existing sewer connections serviced in		Households benefitted in		
				Ward	Slum	Ward	Slum	Ward	Slum	
1	1	MILAK VIKAS NAGAR		2699	596	0	0	2699	596	
2	2	Uttaranchal Colony	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	2410	532	292	64	2702	596	
3	3	Rajnagar	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	2736	604	0	0	2736	604	
4	4	Uttranchal Vihar	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	1706	377	403	89	2109	466	
5	5	New Vikas Nagar	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	2147	474	0	0	2147	474	
6	6	Behta Hazipur West	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	2229	492	0	0	2229	492	
7	7	Sangam Vihar	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	967	435	681	150	1648	585	
8	8	Pram Hans Vihar North	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	0	437	684	151	684	588	
9	9	Pram Hans Vihar South	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	31	457	715	158	746	615	
10	10	Rajeev Garden West	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	101	345	539	119	640	464	
11	11	Geri Market	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	2818	622	0	0	2818	622	
12	12	Dhama Enclave	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	2411	532	0	0	2411	532	
13	13	Sunita Vihar	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	0	381	596	131	596	512	

29	30	Bag Ranap	2422	535	0	0	2422	535	
Yes	<input type="radio"/>	No							
30	31	Arya Nagar	0	300	696	154	696	454	
Yes	<input type="radio"/>	No							
31	32	Main Market Indira Market	2171	200	0	0	2171	200	
Yes	<input type="radio"/>	No							
32	33	Jawahar Nagar North	479	446	173	38	652	484	
Yes	<input type="radio"/>	No							
33	34	Puneet Enclave Kidwi Nagar	2755	608	0	0	2755	608	
Yes	<input type="radio"/>	No							
34	35	Gaddi Jassi	2720	600	0	0	2720	600	
Yes	<input type="radio"/>	No							
35	36	Vikas Kunj	212	476	451	99	663	575	
Yes	<input type="radio"/>	No							
36	37	Indra Enclave Balraj Ngar	614	0	869	0	1483	0	
Yes	<input type="radio"/>	No							
37	38	Balram Nagar Lal Bagh	350	0	2950	0	3300	0	
Yes	<input type="radio"/>	No							
38	39	Khanna Nagar Gaddi Kataya	959	1688	0	0	959	1688	
Yes	<input type="radio"/>	No							
39	40	Ragdhani Enclave Kasim Vihar	2233	493	0	0	2233	493	
Yes	<input type="radio"/>	No							
40	42	Pavi Sadakpur	2309	510	0	0	2309	510	
Yes	<input type="radio"/>	No							
41	43	Gori Patti	2612	77	0	0	2612	77	
Yes	<input type="radio"/>	No							
42	44	Pooja Colony	2807	620	0	0	2807	620	
Yes	<input type="radio"/>	No							
43	45	Chaman Vihar	2613	77	0	0	2613	77	
Yes	<input type="radio"/>	No							
44	46	Nanda Colony Kushal Park	2511	554	0	0	2511	554	

45	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Ashok Vihar North	2560	336	0	0	2560	336			
46	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Behta Hazipur East	2103	464	0	0	2103	464			
47	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Adarsh Mandi Premnagar So	44	464	725	160	769	624			
48	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Ashok Vihar South	2493	550	0	0	2493	550			
49	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Rashid Nagar	2143	473	0	0	2143	473			
50	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Upperkot	2128	470	0	0	2128	470			
51	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Ikram Nagar	2222	491	0	0	2222	491			
52	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Kanchan Park	2210	488	0	0	2210	488			
53	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	East Mustaffabad	2112	466	0	0	2112	466			
	<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No										
New connection breakup FY wise				<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="50000"/>		<input type="text" value="50000"/>		<input type="text" value="11339"/>
			FY			FY		FY		FY		FY

Is the project DPR prepared? Yes No

2022	2023	2024	2025	2026
	Estimated DPR preparation date	Estimated project award date	Estimated project completion date	
	<input type="text" value="31-03-2023"/>	<input type="text" value="31-12-2023"/>	<input type="text" value="31-12-2026"/>	

Estimated project cost Estimated O&M cost
 (₹ crore) (₹ crore)

Funded through Central State Share ULB Share PPP XV FC grants

Assistance

Project cost breakup (₹ crore)

608.2725	1084.7775	373.95		0	
----------	-----------	--------	--	---	--

O&M cost breakup (₹ crore)

N/A	0	242		0	
-----	---	-----	--	---	--

Land availability for the project ⓘ

• Available

To be acquired

Estimated cost of land committed for the project (₹ crore) ⓘ

0.00

Project Highlights

					Sensors SCADA GIS
Total household sewer connections proposed	Total existing sewer connections serviced	Total households benefitted	Estimated project cost (₹ Crore)	Estimated project duration (in Days)	Monitoring Elements
111339	20173	131512	2067	1096	3

- Estimated project cost excludes the cost of land acquisition, if any, for the project
- Estimated project cost includes the cost of 5 years of Operations & Maintenance (O&M) of project infrastructure
- Estimated project cost includes the cost of last mile connectivity, if any, for the project

Project Changes History

- 📅 02/12/2022 ⌚ 04:12 PM

Project submitted to State
Status: Ready for Submission
→ Under State Review
- 📅 02/12/2022 ⌚ 04:12 PM

Project added to Ready for Submission list
Status: Draft → Ready for Submission
- 📅 24/11/2022 ⌚ 05:41 PM

Project information saved
Status: Draft